क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 17.12.25 को पेश हो।	
12.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है। पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 24.12.25 को पेश हो।	
24.12.26	पत्रावली आज पेश हुई बार द्वारा कार्य स्थगन किया गया है। अब पत्रावली अनुसार दिनांक 13.1.26 को पेश की जावे	
13.1.26	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका था। प्रकरण मे बहस पूर्व सुनी जा चुकी है। प्रार्थी का प्रा. पत्र अ. धा. 136 L R A का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। आदेश कि प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज०

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 4 / 2025

गुमानसिंह पिता कल्याणसिंह निवासी दौलतपुरा तह0 बेंगू हा.मु. भवानी नगर भीलवाडा — बनाम — भूमिधारी तहसीलदार बेंगू तह0 बेंगू

उपस्थित :— इफतेखार अजमेरी
अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार
तहसीलदार बेंगू

दिनांक 13.01.2026

आदेश प्रा.पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13.01.2026	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट. पर उभय पक्ष कि बहस सूनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा दौलतपुरा प.ह.बरनियास के खाता संख्या 6 आराजी संख्या 1, 2, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 31, 32, 63, कुल किता 11 कुल रकबा 3.2210 है0 भूमि मे प्रार्थी के पिता कल्याणसिंह की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामांतरण खोलते समय राजस्व कर्मचारियों की गलती से बिना तथ्यों कि जानकारी किये राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम ''गुमानसिंह'' के बजाय खुमानसिंह गलत अंकित कर दिया जिससे प्रार्थीया को राजकीय सेवाओ का लाभ नही मिल पा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत जारी सरकारी विभिन्न दस्तावेजों विद्यालय रेकार्ड, राशनकार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पैनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक आदि में प्रार्थी का नाम गुमानसिंह अंकित है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा दौलतपुरा प.ह.बरनियास के खाता संख्या 6 आराजी संख्या 1, 2, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 31, 32, 63, कुल किता 11 कुल रकबा 3.2210 है0 भूमि मे प्रार्थी का नाम खुमानसिंह के बजाय ''गुमानसिंह'' अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावे। इस पर तहसीलदार बेंगू ने अपनी बहस जवाब प्रा.पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता कल्याणसिंह की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामांतरण राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया गया जिसमे राजस्व कार्मिकों द्वारा लिपिकीय भूलवश नामांन्तरण मे गुमानसिंह के बजाय खुमानसिंह अंकित कर दिया गया। प्रर्थी का सही नाम गुमानसिंह है। प्रार्थी के नाम के संबंध मे जॉच वर्तमान भू0 अ0 नि0 पारसोली तथा पटवारी बरनियास से करवाई गई रिपोर्ट अनुसार सही नाम गुमानसिंह है। प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सूना गया एवं प्रकरण मे प्रस्तुत सरकारी विभिन्न दस्तावेजों विद्यालय रेकार्ड, आधार कार्ड, जनआधारकार्ड, पैनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक आदि में प्रार्थी का नाम गुमानसिंह पिता कल्याण सिंह निवासी भवानी नगर भीलवाडा अंकित है। प्रकरण मे प्रस्तुत सभी दस्तावेजों व तहसीलदार बेंगू के जवाब प्रा.पत्र का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है । अतः प्रार्थीया का प्रा.पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट. का स्वीकार किया जाता है तहसीलदार बेंगू को मौजा दौलतपुरा प.ह.बरनियास के खाता संख्या 6 आराजी संख्या 1, 2, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 31, 32, 63, कुल किता 11 कुल रकबा 3.2210 है0 भूमि मे प्रार्थी का नाम खुमानसिंह के बजाय ''गुमानसिंह'' अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश कि प्रति तहसीलदार बेंगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 13.01.2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया । (अंकित सामरिया) उपखण्डअधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ क्रमांक / सरिश्ता / 2026 / दिनांक :— प्रार्थना पत्र संख्या 4 / 2025 व अनवान गुमान सिंह बनाम भूमिधारी प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल. आर.एक्ट. में आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है। उपखण्डअधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़	

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज॰
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 4 / 2025
गुमानसिंह पिता कल्याणसिंह
निवासी दौलतपुरा तह0 वेंगू
हा.मु. भवानी नगर भीलवाडा

वनाम

भूमिधारी तहसीलदार वेंगू
तह0 वेंगू

उपस्थित ::— इफतेखार अजमेरी
अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार
तहसीलदार बेंगू

दिनांक 13.01.2026

आदेश प्रा.पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल म जारी हुए
13.01.2026	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट. पर उभय पक्ष कि बहस सूनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा दौलतपुरा प.ह.बरनियास के खाता संख्या 6 आराजी संख्या 1, 2, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 31, 32, 63, कुल किता 11 कुल रकबा 3.2210 है0 भूमि मे प्रार्थी के पिता कल्याणसिंह की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामांतरण खोलते समय राजस्व कर्मचारियों की गलती से बिना तथ्यों कि जानकारी किये राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम ''गुमानसिंह'' के बजाय खुमानसिंह गलत अंकित कर दिया जिससे प्रार्थीया को राजकीय सेवाओ का लाभ नही मिल पा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत जारी सरकारी विभिन्न दस्तावेजों विद्यालय रेकार्ड, राशनकार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पैनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक आदि में प्रार्थी का नाम गुमानसिंह अंकित है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा दौलतपुरा प.ह.बरनियास के खाता संख्या 6 आराजी संख्या 1, 2, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 31, 32, 63, कुल किता 11 कुल रकबा 3.2210 है0 भूमि मे प्रार्थी का नाम खुमानसिंह के बजाय ''गुमानसिंह'' अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावे। इस पर तहसीलदार बेंगू ने अपनी बहस जवाब प्रा.पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता कल्याणसिंह की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामांतरण राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया गया जिसमे राजस्व कार्मिकों द्वारा लिपिकीय भूलवश नामान्तरण मे गुमानसिंह के बजाय खुमानसिंह अंकित कर दिया गया। प्रर्थी का सही नाम गुमानसिंह है। प्रार्थी के नाम के संबंध मे जॉच वर्तमान भू0 अ0 नि0 पारसोली तथा पटवारी बरनियास से करवाई गई रिपोर्ट अनुसार सही नाम गुमानसिंह है। प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सूना गया एवं प्रकरण मे प्रस्तुत सरकारी विभिन्न दस्तावेजों विद्यालय रेकार्ड, आधार कार्ड, जनआधारकार्ड, पैनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक आदि में प्रार्थी का नाम गुमानसिंह पिता कल्याण सिंह निवासी भवानी नगर भीलवाडा अंकित है। प्रकरण मे प्रस्तुत सभी दस्तावेजों व तहसीलदार बेंगू के जवाब प्रा.पत्र का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है । अतः प्रार्थीया का प्रा.पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट. का स्वीकार किया जाता है तहसीलदार बेंगू को मौजा दौलतपुरा प.ह.बरनियास के खाता संख्या 6 आराजी संख्या 1, 2, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 31, 32, 63, कुल किता 11 कुल रकबा 3.2210 है0 भूमि मे प्रार्थी का नाम खुमानसिंह के बजाय ''गुमानसिंह'' अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश कि प्रति तहसीलदार बेंगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 13.01.2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया । (अंकित सामरिया) उपखण्डअधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ क्रमांक / सरिश्ता / 2026 / दिनांक :— प्रार्थना पत्र संख्या 4 / 2025 व अनवान गुमान सिंह बनाम भूमिधारी प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल. आर.एक्ट. में आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है। उपखण्डअधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़	